अनुदान संख्या 6 - रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग
GRANT No. 6- DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व :	**Revenue:**					
स्वीकृत -	Voted-					
मूल	Original	393,31,00				
				1641,32,00	1227,57,23	- 413,74,77
पूरक	Supplementary	1248,01,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					413,69,71
पूंजीगतः	**Capital:**					
स्वीकृत -	Voted-			26,69,00	1,10,00	-25,59,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					25,59,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹41374.77 लाख) अगस्त, 2010 और नवंबर, 2010 में प्राप्त किए गए ₹124801.00 लाख के पूरक अनुदान का 33 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 25 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹41374.77 lakhs) constituted 33 percent of the supplementary grants of ₹124801.00 lakhs obtained in August, 2010 and November, 2010 and 25 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	4000.00			
			..	..	..
पु.	R.	-4000.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"				
उद्योग	Industries				
मू.	O.	34111.00			
पू.	S.	124801.00	121529.58	121525.05	-4.53
पु.	R.	-37382.42			

(I) ₹4000.00 लाख का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" - "पेट्रो-रसायन उद्योग - (अन्य व्यय) - असम गैस क्रैकर परिसर को आर्थिक सहायता" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण एक मामले में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹4000.00 lakhs remained wholly unutilized in one case under Major Head "2552" – "Petrochemicals Industries – (Other Expenditure) – Subsidy to Assam Gas Cracker Complex" – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "रासायनिक तथा औषधीय उद्योग - रसायन और कीटनाशक - भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावा कार्यवाही) अधिनियम, 1985" के अंतर्गत ₹444.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹66900.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹67344.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो भोपाल गैस रिसाव आपदा के पीड़ितों को अनुग्रही अनुदान के वितरण के लिए कल्याण आयुक्तों की नियुक्ति में विलंब होने और 30 प्रतिशत मामलों में पीड़ितों के नामित बहुत सारे व्यक्तियों की पहचान न होने के कारण ₹34062.93 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2852" -"Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Chemicals and Pesticides - Bhopal Gas Leak Disaster (Processing of claims) Act, 1985" – the original provision of ₹444.00 lakhs was augmented to ₹67344.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹66900.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹34062.93 lakhs - due to delay in appointment of Welfare Commissioners for disbursement of ex-gratia to the victims of Bhopal Gas Leak Disaster and non-identification of a number of victims' nominees in 30 percent cases.

(III) मुख्य शीर्ष "2852" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2852"- savings occurred under the following heads:-

(का) "पेट्रो रसायन उद्योग - अन्य व्यय - केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान" - ₹7893.19 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹15348.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से 'नई पेट्रो रसायन स्कीम' स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत

(A) "Petrochemical Industries – Other Expenditure – Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET)" – saving of ₹7893.19 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹15348.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to re-appropriation of funds for creation of Capital

परिसंपत्तियों के सृजन के लिए निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के कारण हुई।

Assets under the scheme 'New Scheme of Petrochemicals' with the approval of Ministry of Finance.

(खा) "रसायन तथा औषध निर्माण उद्योग - रसायन और कीटनाशक - कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान को अनुदान" - ₹366.99 लाख की बचत (₹685.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण हुई।

(B) "Chemicals and Pharmaceuticals Industries – Chemicals and Pesticides - Grants to Institute of Pesticides Formulation Technology" – saving of ₹366.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹685.00 lakhs) was due to availability of unspent balance of previous year.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹4968.81 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2852" - "पेट्रो रसायन उद्योग - अन्य व्यय" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹124800.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

2. The above savings were partly (₹4968.81 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹124800.00 lakhs under Major Head "2852" – "Petrochemical Industries –Other Expenditure" – under the following heads:-

(I) "असम गैस क्रैकर परिसर को आर्थिक सहायता" - ₹4498.00 लाख।

(I) "Subsidy to Assam Gas Cracker Complex" – ₹4498.00 lakhs.

(II) "नई पेट्रो रसायन स्कीमें" - ₹470.81 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹470.82 लाख था।

(II) "New Schemes of Petrochemicals" – ₹470.81 lakhs. Actual excess, however, was ₹470.82 lakhs.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving -
मुख्य शीर्ष "6857" रसायन तथा औषध निर्माण उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6857" Loans for Chemical and Pharmaceutical Industries				
मू.	O.	2559.00	..	..	..
पु.	R.	-2559.00			

(I) ₹2559.00 लाख का प्रावधान "रसायन और कीटनाशक उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "हिन्दुस्तान कीटनाशक लिमिटेड" - ₹2001.00 लाख मनकोजेब परियोजना स्थगित होने के कारण थे।

(खा) "हिन्दुस्तान जैव रसायन लिमिटेड" - ₹558.00 लाख वित्त मंत्रालय से उद्यम संसाधन आयोजना सहित परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of ₹2559.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads under "Chemicals and Pesticides Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings" – under the following heads:-

(A) "Hindustan Insecticides Limited" – ₹2001.00 lakhs – due to postponement of the Mancozeb Project.

(B) "Hindustan Organics Chemicals Limited" – ₹558.00 lakhs – due to non-receipt of approval for project including Enterprises Resource Planning from the Ministry of Finance.